(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 22/2024

पंजीकरण संख्या :– 2024/175

बउनवान

श्री धनराज सुमन पुत्र स्व. श्री गोपीलाल सुमन जाति माली निवासी बमोरी रोड, वार्ड नं. 05, अंता तहसील अंता जिला बारां(राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 19.11.2024

उक्त ऑनलाईन अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के पत्र क्रमांक–रीडर/डी.एम./24/1127 दिनांक 22.10.2024 से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.09.2024 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी ने पटवारी भैरूलाल चौपडा को सस्पेन्ड करने के लिये जिला कलक्टर बारॉ को ऑनलाईन राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत की थी जिसका परिवाद क्रमांक 082407820427588, 082407820450091 (दिनांक 25.08.2024), 082407820448978 (दिनांक 25.08.2024), 072407820115860 (दिनांक 26.07.2024) है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल विभाग जयपुर मे कार्यरत कर्मचारियो द्वारा जिला कलक्टर बारॉ के कार्यालय मे ना भेजकर कार्यालय तहसीलदार अन्ता भेज दी थी जिसके संबंध मे 04 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी, जो निम्न प्रकार है :–

1. प्रार्थी की शिकायत पर जांच अधिकारी द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट की छायाप्रति को पी.आई.ओ. के हस्ताक्षर व मोहर/सील से प्रमाणित कर जरिये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावे।
2. प्रार्थी की शिकायत पर जांच अधिकारी द्वारा लिये गये मौका पर्चा बयान की छायाप्रति को पी.आई.ओ. के हस्ताक्षर व मोहर/सील से प्रमाणित कर जरिये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावे।
3. प्रार्थी की शिकायत पर तहसीलदार द्वारा तैयार की गई कार्यवाही रिपोर्ट की छायाप्रति को पी.आई.ओ. के हस्ताक्षर व मोहर/सील से प्रमाणित कर जरिये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावे।
4. प्रार्थी की शिकायत पर जांच अधिकारी द्वारा प्रार्थी को जांच के समय उपस्थित होने के लिये दी गई सूचना की प्रति की छायाप्रति को पी.आई.ओ. के हस्ताक्षर व मोहर/सील से प्रमाणित कर जरिये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:58:10 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी को उक्त 04 बिंदुओं की सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा ऑनलाईन प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता के पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई 04 बिंदुओं की सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 22.10.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता को जरिये सम्मन क्रमांक 1313–1314 दिनांक 23.10.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 1313–1314 दि. 23.10.2024 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता द्वारा पत्र क्रमांक/एल.आर./2024/4724–25 दिनांक 12.11.2024 से बिंदुवार जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार हैः–

1. अपीलार्थी श्री धनराज सुमन की सम्पर्क शिकायत पर जांच अधिकारी द्वारा तैयार की गयी जांच रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है।
2. पटवारी मौका/जांच रिपोर्ट संलग्न छायाप्रति संलग्न है।
3. छायाप्रति संलग्न है।
4. आवेदक को तहसीलदार के नाम मे वर्णित सम्पर्क शिकायत के सम्बन्ध मे तहसीलदार द्वारा शिकायत सम्पर्क शिकायत की करवाई गई जांच रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है।

इसके अतिरिक्त यदि अपीलार्थी द्वारा किसी अन्य सूचना की आवश्यकता हो तो कार्यालय समय के दिवस पर उपस्थित होकर रिकार्ड का निरीक्षण करा दिया जावेगा।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं तहसीलदार, अंता से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे 04 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता द्वारा अपीलार्थी को बिंदुवार सूचना उपलब्ध करवा दी गई है जिसकी एक प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी भिजवा दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता एवं अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:58:10 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ